


जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या : 07

जिले का नाम : कटिहार

लोक सभा या राज्य विधान सभा को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार संवीक्षा रिपोर्ट			
(अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कोई विसंगति होने पर सभी रजिस्ट्रों तथा एकत्रित साक्ष्यों की सभी प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ भेज देनी चाहिए।			
क्रम सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए	
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री कन्हाई मंडल	
2.	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय	
3.	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं० तथा नाम	11 कटिहार लोक सभा	
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	शाह तारिक अनवर	
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.05.2014	
6.	लेखे दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख	16.06.2014	
7.	अभ्यर्थी द्वारा लेखे दाखिल करने की तारीख	14.06.2014	
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा दाखिल लेखे	हाँ	
(क)	निर्धारित फार्मेट में हैं (हाँ या नहीं)		
(ख)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्मेट में पाई गई विसंगतियां	पंक्ति के सामने चिन्हित करे	विसंगतिया के ब्यौरों पर संक्षिप्त नोट
(I)	सार विवरण (भाग I से भाग IV तथा अनुसूची 1 से 9 तक) विधिवत् रूप से नहीं भरा गया/ हस्ताक्षर नहीं किया गया।	नहीं	N.A
(II)	अभ्यर्थी के शपथपत्र में विधिवत् रूप से शपथ दाखिल नहीं की गई	नहीं	N.A

क्रम सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भर जाय				
(iii)	अभ्यर्थी के बैंक रजिस्टर तथा रोकड रजिस्टर सहित दैनिक लेखे के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए।	नहीं	N/A			
(iv)	निर्वाचन व्यय की मदों के संबंध में भाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए/अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।	नहीं	N/A			
(v)	निर्वाचन व्यय के लिए बैंक लेखों के विवरण की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।	नहीं	N/A			
(vi)	उपरोक्त बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए सभी रसीदें जमा नहीं कराई गई तथा छुटकर व्ययों के अतिरिक्त सभी भुगतान चेक द्वारा नहीं किए गए।	नहीं	N/A			
9.	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल सार विवरण के भाग -III में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का कुल योग	29500.00	N/A			
10(क)	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित व्यय की मदें छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर में दिखाए व्ययों से मेल खाती है (हाँ या नहीं)	हाँ				
(ख)	यदि नहीं, तो ऐसे व्यौरे मरें जहां अभ्यर्थी द्वारा व्यय कम बताया गया/उल्लेख नहीं किया गया।	N/A				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	सक्ष्य के छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे के अनुसार	अभ्यर्थी द्वारा कम बताई गई राशि।
	योग					

क्रम सं०	विवरण	जिला निर्वाचन द्वारा भरा जाए		
11. (क)	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रचार अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर प्रस्तुत किया है (हाँ या नहीं)	हाँ	N/A	
(ख)	क्या प्रेक्षक द्वारा रजिस्टर के निरीक्षण के समय अभ्यर्थी को विसंगति इंगित की गई थी? यदि हाँ तो विसंगति का उल्लेख करें।	नहीं	N/A	
(ग)	क्या अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्यय में विसंगति के संबंध में नोटिस जारी किया गया था? कृपया विसंगति की तारीख और प्रकृति का उल्लेख करें।	नहीं	N/A	
(घ)	क्या अभ्यर्थी ने नोटिस का कोई जवाब दिया ( कृपया नोटिस तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करें)	—	N/A	
12.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत है कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय सही रूप से बताया गया है (हाँ या नहीं)	हाँ	N/A	
13.	सार विवरण के भाग -III में उल्लिखित राजनैतिक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को नकद या चेक में दी गयी एकमुष्ट राशि तथा पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें।	नहीं	N/A	
14.	अभ्यर्थी को किसी अन्य व्यक्ति /हस्ती द्वारा दी गई एकमुष्ट राशि/पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें।	नहीं	N/A	
15.	क्या अभ्यर्थी या उसके ऐजेंट या उसके पार्टी कार्यकर्ता या अभ्यर्थी से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में धन, अन्न या अन्य मदों के वितरण का मामला सामने आया है। कृपया तारीख तथा व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें।	नहीं	N/A	
	मोहर : तारीख	 हस्ताक्षर (जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम)		


अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

- (क) विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : 11 कटिहार  
 (ख) निर्वाचन लड़ने वालों की कुल संख्या: 21  
 (ग) राज्य और जिला : बिहार और कटिहार  
 (घ) निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख : 16.05.2014  
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख : 16.06.2014  
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम : शाह तारिक अनवर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
क्रम सं०	अभ्यर्थी और संबध पार्टी का नाम	लेखा दाखिल करने की निर्धारित तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित प्रपत्र में दाखिल किया गया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/ एजेंट द्वारा प्राधिकृत/उपगत व्यय का कुल योग(जैसा की सार विवरण के भाग - III में उल्लिखित है)	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यय की सभी मदों के सम्मुख दिखाई गई राशि से जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है?	पार्टी द्वारा उपगत कुल व्यय (जैसा कि सार-विवरण के भाग -III में उल्लिखित है)	अभ्यर्थी /हस्तियों द्वारा किये गए व्यय का योग (जैसा की सार-विवरण के भाग -III में रिपोर्ट किया गया है।	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी	
								प्रत्येक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को दिया गया नकद या चेक की एकमुष्ट राशि	राजनीतिक पार्टी द्वारा इसी प्रकार के अन्य व्ययों का योग	अभ्यर्थी को दी गई नगद/चेक की एकमुष्ट राशि और नाम का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी के लिए उपगत इस प्रकार के अन्य व्ययों का कुल योग
7	कन्हैया मंडल निर्दलीय	16.06.14	14.06.14	हाँ	हाँ	29500.00	हाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	N.A

  
 जिला निर्वाचन अधिकारी

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी कोई हो :-

  
 व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मद संख्या 10 (ख) के लिए नोट :-


1- कृपया उन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करे जहां छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में निर्वाचन व्यय कम बताया गया है।

2- यदि व्यवहार्य हो तो कृपया व्यय के मददार व्योरे के लिए अलग संलग्नक लगाएं।

---

व्यय प्रेक्षक द्वारा टिप्पणी, यदि कोई है, <sup>1</sup>

तारीख :

  
19/06  
व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित (यदि कोई है) भारत निर्वाचन आयोग को अग्रेषित

तारीख :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर<sup>11</sup>

<sup>1</sup> यदि व्यय प्रेक्षक के पास ऐसे कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया तो वह इस संबंध में अलग नोट संलग्न करें।

<sup>11</sup> यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोई अतिरिक्त टिप्पणी करना चाहे तो वह टिप्पणी अलग से अग्रेषित कर सकता है/सकती है।